

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक : एफ.55()अभि./सीई/डीएलबी/2018 48508-519 दिनांक : 11/06/18
आदेश

झालरापाटन क्षेत्र में चन्द्रभागा नदी के विकास कार्य हेतु नगर पालिका झालरापाटन से प्राप्त पत्र क्रमांक 4803 दिनांक 15.02.2018 के साथ संलग्न जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई डीपीआर के आधार पर राशि रूपये 5.00 करोड़ (अक्षरे राशि रूपये पांच करोड़ मात्र) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) से उपलब्ध कराने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय स्वीकृत आदेश 37131-142 दिनांक 11.05.2018 द्वारा जारी की जा चुकी है।

उक्त कार्य की क्रियान्विती हेतु राजस्थान शहरी विकास परियोजना (RUIDP) को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया जाता है। RUIDP अपने स्तर से कार्य के प्रस्ताव तैयार कर, कार्य की क्रियान्विती एवं राशि की उपयोगिता के संबंध में RTPP Act. 2012 एवं Rules 2013 के नियमों/उपबंधों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ.55()अभि./सीई/डीएलबी/18 48508-519 दिनांक : 11/06/18

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज. सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. परियोजना निदेशक, RUIDP जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, झालावाड़।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
9. मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
10. परियोजना निदेशक, निदेशालय।
11. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, झालरापाटन।
12. सिस्टम एलनालिस्ट निदेशालय, वेब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

(मूपन्दी माथुर)
मुख्य अभियन्ता